न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3093 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-132/2022 में दिनांक-16.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-31/2021 से संबंधित अभिलेख कुल-182 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- गूंजा कुमारी उर्फ मुन्नी कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार / रीता कुमारी (देवी), पति-विद्यानन्द यादव, सभी सा0-लतौना दक्षिण, वार्ड नं0-12, टोला-तितुआहा, थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

ह०/- प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0...से..तक

जिला.., सं0.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
16/10/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-132/2022** **गूंजा कुमारी उर्फ मुन्नी कुमारी (देवी)................पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **रीता कुमारी (देवी) एवं राज्य...................रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद गूंजा कुमारी उर्फ मुन्नी कुमारी (देवी), पति-मृत्युंजय कुमार, सा0-लतौना दक्षिण, वार्ड नं0-12, टोला-तितुआहा, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल में विपक्षी रीता कुमारी (देवी), पति-विद्यानन्द यादव के द्वारा दायर आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-31/2021 में दिनांक 19.09.2022 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता को सेविका के पद से चयनमुक्त कर दिया गया है। दिनांक 03.10.2023 को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल से प्राप्त अभिलेख में संलग्न जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 170 दिनांक 05.02.2020 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान	

[signature]

के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। पुनरीक्षणकर्त्ता चाहें तो 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी इस न्यायालय में वाद लम्बित होने के आधार पर विलम्ब क्षांत करते हुए वाद को अंगीकृत करेंगे तथा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में उचित आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

16/10/2?

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

16/10/2?

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।